**Annexure- 1**

# General Proficiency के अन्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (Engineering, Textile Design, Garment Technology, Fashion Design) के छात्रों हेतु मूल्यांकन सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रत्येक सेमेस्टर की Evaluation Scheme के अन्तर्गत General Proficiency हेतु 25 अंक निर्धारित किये गये हैं जिसके अन्तर्गत Games, Hobby Clubs, Seminars, Declamation Contest, Extension lectures, NCC, NSS, Cultural Activities तथा Discipline आदि सम्मिलित थे।

उपरोक्त व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए General Proficiency हेतु निर्धारित 25 अंकों का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है–

A. Online Certificate Course (Each Semester) : 15 Marks
B. Co-Curricular Activities (Each Semester) : 10 Marks

उपरोक्त व्यवस्था राज्य स्थित समस्त राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त/महिला/ग्रामीण /निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत् समस्त छात्रों पर समान रूप से लागू होगी।

उपरोक्तानुसार निर्धारित Online Certificate Course तथा Co-Curricular Activities हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं–

## A. Online Certificate Course (Each Semester) के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग/कोडिंग/प्रजेन्टेशन स्किल आदि शॉर्ट–टर्म ऑनलाईन कोर्स किये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश।

1. General Proficiency के अन्तर्गत प्रत्येक सेमेस्टर में अध्ययनरत् छात्रों द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्नक–2 में उल्लेखित कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग/कोडिंग/प्रजेन्टेशन स्किल आदि शॉर्ट–टर्म ऑनलाईन कोर्स किये जाने हैं, इस हेतु प्रत्येक सेमेस्टर में General Proficiency के कुल 25 अंकों में से 15 अंक निर्धारित हैं।

2. प्रत्येक सेमेस्टर हेतु किये जाने वाले ऑनलाईन कोर्स की समयावधि निम्नवत है–

| Semester | Skills to be Acquired | Duration (In Hrs.) |
|---|---|---|
| I & II | Basic Computing Skills, Basics of Programming/Coding | 10 Hrs. for each semester |
| III & IV | Intermediate Level courses related to Computing Skills & Programming/Coding | 15 Hrs. for each semester |
| V & VI | Intermediate Level courses related to Computing Skills & Programming/Coding along with Soft and Employability skills | 25 Hrs. for each semester |

3. उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से एवं डायनमिक रूप से (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ् सेमेस्टर पर) लागू होगी।

**उदाहरणार्थ – वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024–25 में क्रमशः प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर इंजीनियरिंग डिप्लोमा में अध्ययनरत् छात्रों हेतु संलग्नक–2 से निर्धारित समयावधि के ऑनलाईन शार्ट–टर्म कोर्स का चयन कर उसे पूर्ण कर प्रमाण पत्र छात्र द्वारा अपने संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा कराया जाएगा।**

4. यदि कोई छात्र ऐसे कोर्स का चयन करता है, जिसकी कुल अवधि निर्धारित समयावधि से कम है, तो छात्र को एक से अधिक कोर्स के चयन करने की अनुमति होगी।

**उदाहरणार्थ– यदि कोई छात्र प्रथम सेमेस्टर में अध्ययनरत् है, तो कोर्स हेतु निर्धारित समयावधि 10 घंटे है, जिसे छात्र द्वारा 10 घंटे के 01 कोर्स द्वारा अथवा 2 घंटे के 05 कोर्सेज द्वारा अथवा 5 घंटे के 02 कोर्सेज के चयन द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। अर्थात् कुल समयावधि 10 घंटे की होनी चाहिए, जिसमें कोर्सेज की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है।**

5. छात्र द्वारा निर्धारित समयावधि से अधिक अवधि के कोर्स किये जाने पर कोई अतिरिक्त अधिमान प्रदान नहीं किया जाएगा।

6. यदि छात्र द्वारा सेमेस्टर हेतु निर्धारित समयावधि से कम अवधि का कोर्स पूर्ण किया जाता है तो छात्र को Pro-rata basis पर अंक प्रदान किये जायेंगें।

**उदाहरणार्थ – यदि छात्र प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित 10 घंटे की समयावधि के स्थान पर 08 घंटे की अवधि का ऑनलाईन कोर्स करता है, तो उसे General Proficiency के अन्तर्गत ऑनलाईन कोर्सेज हेतु निम्नानुसार अंक प्रदान किये जायेंगे–**

**प्रथम सेमेस्टर में 10 घंटे की अवधि के ऑनलाईन कोर्स हेतु निर्धारित अंक = 15 अंक**
**अतः छात्र द्वारा 08 घंटे की अवधि के ऑनलाईन कोर्स हेतु निर्धारित अंक = 12 अंक**

7. छात्र द्वारा ऑनलाईन कोर्स पूर्ण कर प्रमाण पत्र जमा किये जाने के उपरान्त ही General Proficiency हेतु निर्धारित 01 Credit अनुमन्य होगा।

8. छात्र द्वारा संलग्नक–2 में उल्लेखित ऑनलाईन कोर्सेज के अतिरिक्त अन्य कोई कोर्स के चयन की स्थिति में छात्र द्वारा संस्थान को समयान्तर्गत सूचित किया जाएगा। संस्था प्रधानाचार्य द्वारा ऐसे सभी आवेदनों को संकलित कर संयुक्त सचिव, आई0आर0डी0टी0, अपर आमवाला, देहरादून से उक्त कोर्सेज किये जाने की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा।

9. प्रत्येक संस्थान को उक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में छात्रों में सम्यक प्रचार किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत उक्त से सम्बन्धित समस्त दिशा–निर्देश तथा ऑनलाईन कोर्सेज की सूची संस्था के नोटिस बोर्ड, कक्षाओं एवं वेब–साईट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।